न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
16 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	17.03.2021	01.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी पुत्र स्व0श्री प्रभूलाल माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रभूलाल ओमप्रकाश माहेश्वरी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 9 नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0

2–श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द प्रसाद साकेत कुमार सी–ए चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर निवासी एम–97–ए जेपी फाटक अण्डरपास के पास महेश कॉलोनी लाल कोठी जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एंव धारा 52 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 01.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.09.2020 को समय 2.14 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स प्रभूलाल ओमप्रकाश माहेश्वरी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी पुत्र स्व0श्री प्रभूलाल माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रभूलाल ओमप्रकाश माहेश्वरी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 9 नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान की रैक मे **अजवाईन जी.एस.111 ब्राण्ड (Spices Ajwain Whole G S 111 Brand)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में नमूना क्रय करने का नोटिस देकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:31 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता ओमप्रकाश माहेश्वरी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 60 नग मूल पैक 500–500 ग्राम **अजवाईन जी.एस. 111 ब्राण्ड** (Spices Ajwain Whole G S 111 Brand) रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के 4 मूल पैक नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी को रू0 200/–अक्षरे दो सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुद्वा **अजवाईन जी.एस.111 ब्राण्ड** (Spices Ajwain Whole G S 111 Brand) 500–500 ग्राम के नगो को ज्यो का त्यो एक–एक नग बराबर–बराबर खाकी कागज मे लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2578 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2578 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. ओमप्रकाश माहेश्वरी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी ने मौके पर **अजवाईन जी.एस.111 ब्राण्ड** (Spices Ajwain Whole G S 111 Brand) बतोर वारंटी बिल मैसर्स मैसर्स गोविन्द प्रसाद साकेत कुमार सी–ए चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर का बिल कमांक/इन्वॉइस नं0 17424 दिनांक 08.09.2020 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.19 12:30 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3564 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1257/एक्ट/2020/1331 दिनांक 23.09.2020 अनुसार ओमप्रकाश माहेश्वरी से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **अजवाईन जी.एस.111 ब्राण्ड** (Spices Ajwain Whole G S 111 Brand)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **अजवाईन जी.एस.111 ब्राण्ड** (Spices Ajwain Whole G S 111 Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **अजवाईन जी.एस.111 ब्राण्ड** (Spices Ajwain Whole G S 111 Brand का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **अजवाईन जी.एस.111 ब्राण्ड** (Spices Ajwain Whole G S 111 Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी पुत्र स्व0श्री प्रभूलाल माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रभूलाल ओमप्रकाश माहेश्वरी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं0 9 नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री गोविन्द प्रसाद गर्ग पुत्र श्री बाबूलाल अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द प्रसाद साकेत कुमार सी–ए चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर निवासी एम–97–ए जेपी फाटक अण्डरपास के पास महेश कॉलोनी लाल कोठी जयपुर राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:31 IST
Reason: SelfAttested

1-10-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0